राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

मु. नं.– 38/22 हंसी वगैरह बनाम सुल्तान वगैरह

किस्ममुकदमा– वाद पत्र अन्तर्गत धारा 58,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज ....बनाम........ मु.नं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	17/5/25 पीठासीन अधिकारी जिला स्तरीय जन-सुनवाई में व्यस्त होने के कारण न्यायिक कार्य नही हो सका। पत्रावली पूर्वाधार दिनांक 24/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	24.5.25 पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी सं. 01 की ओर से अभिभाषक श्री धर्मसिंह राजपूत ने जवाब दावा व वकालतनामा पूर्व में पेश किया जा चुका है। वकील प्रतिवादी सं. 01 उपस्थित हुये। वादी एवं उनके वकील को बार-2 आवाज दिलवाई गई। कोई उपस्थित नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कि वादी पत्रावली में कोई भी कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है इसलिए पत्रावली वादी पक्ष की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	